

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे स्पष्टि हो।



ग्राम : गूनीगरींटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

**प्रेषक :**  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2010/ 3320

दिनांक: 02/07/11

**प्रति,**

प्राचार्य/प्राचार्या,  
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,  
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

**विषय:-** सत्र 2011-12 के लिये सम्बद्धता नवीनीकरण बावत् ।

**महोदय/महोदया,**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि सत्र 2011-12 की सम्बद्धता का निराकरण सत्रारम्भ में ही किया जाना है । अतः आपसे अनुरोध है कि सत्र 2011-12 की सम्बद्धता हेतु परिनियम 27 के अनुसार आवेदन-पत्र एवं वार्षिक सम्बद्धता शुल्क जमा करने का कष्ट करें जिससे निरीक्षण समिति का गठन कर सम्बद्धता का निर्णय यथासमय किया जा सके ।

(ii) Every college or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31<sup>st</sup> July in continuation of annual affiliation fees at the rates mentioned below:

(a) Rs. 5000/- per Faculty for the Bachelor's degree others than professional courses.

Rs. 8000/- per Faculty for Bachelor Degree/Diploma in Professional courses.

Where the affiliation of such colleges or institution is also in respect of Master's degree fee in addition thereto shall be payable at the mentioned below:-

Rs. 5000/- per subject in any of the faculty covered by item (a) as above other than professional courses Rs. 10,000/- for P.G. professional courses.

In the College/Institutions located in sub district level 50% of the fee mentioned above will be charged.

(b) If the fee payable under sub para (3) (ii) is not paid by the date specified therein the affiliation of the college or Institution, may be withdrawn. Provided that the Kulpati may permit the requisite fee to be paid together with an additional amount equal to 25% of the requisite fee within a period of three month from the date mentioned in sub Para (3) (ii).

भषदीय  
2/7/11  
कुलसचिव